दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरूवार 12 दिसम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 74

महत्वपूर्ण एवं खास

इस्पात क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुआ समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस्पात क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए 'भारत-जापान इस्पात संवाद' के गठन के लिए भारत और जापान सरकार के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किये जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। 'भारत-जापान इस्पात संवाद' के तहत इस्पात क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक समझ बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इस संवाद का लक्ष्य इस्पात क्षेत्र में सहयोग के सभी पहलुओं पर गौर करना है। उच्च कोटि के इस्पात के उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देना और भारत में इस्पात उपयोग के नये अवसरों का पता लगाना भी इन पहलुओं में शामिल हैं। इस सहयोग ज्ञापन से भारत में उच्च कोटि के इस्पात के उत्पादन के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।

दिल्ली मेट्रो के तीन प्राथमिक कॉरीडोरों के लिए फंडिंग को मिली मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चौथे चरण के दिल्ली मेट्रो के तीन प्राथमिकता कॉरीडोरों के लिए वित्तपोषण स्वरूप में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये तीन प्राथमिकता कॉरीडोर (1) एरोसिटी से तुगलकाबाद, (2) आर.के. आश्रम से जनकपुरी (पश्चिम) और (3) मुकुंदपुर-मौजपुर हैं। इसके संबंध में जमीन की कीमत में साझेदारी भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में होगी। यह साझेदारी मेट्रो रेल नीति, 2017 के संशोधनों के आधार पर है, जो 6 सितंबर, 2019 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप केवल दिल्ली में लागू होगी। 24,948.65 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। भारत सरकार का योगदान मौजूदा 4,154.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,643.638 करोड़ रुपये हो गया है, जिसके फलस्वरूप 489.438 करोड़ रुपये की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। डीएमआरसी द्वारा पुनर्भुगतान किए जाने वाले द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त बाहरी ऋ ण की कुल रकम मौजूदा 11,462.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,930.914 करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार कुल 1,468.314 करोड़ रुपये की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है।

कोर्ट में भारतीय मूल के डॉक्टर का साबित हुआ जुर्म

» 25 महिलाओं का किया यौन उत्पीड़न

लंदन। भारतीय मूल के डॉक्टर को ब्रिटेन की अदालत ने महिलाओं के उत्पीड़न का दोषी पाया है। महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए वह उनकी कमजोरी का सहारा लेता था और हॉलिवुड और टीवी स्टार्स की कैंसर से जुड़ी खबरें सुनाकर वह उन्हें डराता था। मनीष शाह नाम का यह जनरल प्रैक्टिसनर (जीपी) अब तक 25 महिलाओं का उत्पीड़न कर चुका है। लंदन के ओल्ड बैले कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि वह महिलाओं को डराने के लिए खबरों का सहारा लेता था। एक महिला को डराने के लिए उसने हॉलीवुड स्टार ऐंजलिना जोली का भी सहारा लिया। उसने मरीज को कहानी सुनाई कि किस तरह ऐंजलिना जोली को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और मरीज को भी ब्रेस्ट चेकअप करा लेना चाहिए।

बिमसटेक देशों के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरु

नईदिल्ली (आरएनएस)। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित बिम्सटेक देशों के लिए तीन दिवसीय स्मार्ट जलवायु कृषि प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आज नई दिल्ली में शुरू हुई। सभी सात बिम्सटेक देश - भूटान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और बिम्सटेक सचिवालय के प्रतिनिधि संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के बावजूद, तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाकर किसानों की आय को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि की मशीनीकरण तकनीक को जलवायु लचीला कृषि के एक घटक के रूप में लागू करते समय छोटी जोत की खेती एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत उत्सर्जन को कम करने, प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और चुनौतीपूर्ण कृषि स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिम्सटेक सचिवालय, म्यांमार के निदेशक हान थीन केयाव ने दुनिया में बदलते जलवायु परिदृश्य के अनुसार किसानों से कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे फसलों और खाद्य उत्पादों की पोषण गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

संगोष्ठी का आयोजन भारत सरकार की पहल के रूप में किया जा रहा है। इस पहल की जैसा कि घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू में 30-31 अगस्त, 2019 को 4वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य अनुभव साझा करना है ताकि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक उत्पादकता और लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे धारक कृषि प्रणालियों के सुधार को सक्षम बनाया जा सके। सफलता की कुछ कहानियों को बिम्सटेक देशों के लाभ के लिए केस स्टडी के रूप में साझा किया जाएगा। संगोष्ठी में व्याख्यान और अनुभवों को साझा करने, अत्याधुनिक सुविधाओं का दौरा करने और अनुभव के लिए फील्ड का दौरा करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सात सदस्य देश शामिल हैं। यह उप-क्षेत्रीय संगठन 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।

दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक को मिली मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिवाला और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) में अनेक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन का लक्ष्य संहिता के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा कारोबार में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया में आ रही विशेष कठिनाइयों को दूर करना है।

संशोधन विधेयक का उदेश्य धारा 5 (12), 5 (15), 7, 11, 14, 16 (1), 21 (2), 23 (1), 29 ए, 227, 239, 240 में संशोधन करने के साथ-साथ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) में एक नई धारा 32ए को शामिल करना है।

संहिता में संशोधन से बाधाएं दूर होंगी, सीआईआरपी सुव्यवस्थित होगी और अंतिम विकल्प वाले वित्तपोषण के संरक्षण से वित्तीय संकट का सामना कर रहे सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने में होने वाली गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए व्यापक वित्तीय कर्जदाताओं के लिए अतिरिक्त आरंभिक सीमा शुरू की गई है जिनका प्रतिनिधित्व एक अधिकृत प्रतिनिधि करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉरपोरेट कर्जदार के कारोबार का आधार कमजोर न पड़े और उसका व्यवसाय निरंतर जारी रहे। इसके लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि कर्ज स्थगन अवधि के दौरान लाइसेंस, परमिट, रियायतों, मंजूरी इत्यादि को न तो समाप्त अथवा निलंबित या नवीकरण नहीं किया जा सकता है।

भारत और ब्राजील के बीच हुआ सामाजिक सुरक्षा समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।

विदेशों में कम समय के लिए काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनलों/कुशल कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमताओं को बढ़ाने के मद्देनजर भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते (एसएसए) करता रहा है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बैठकों में चर्चा की गई थी। ये बैठकें 9 जून, 2016 को जिनेवा और 27-28 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में हुईं थीं। ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को पूरा करने की संभावना का उल्लेख आठवें ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर गोवा घोषणा पत्र में भी किया गया था। गोवा घोषणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारत और ब्राजील ने एसएसए पर बातचीत 13-16 मार्च, 2017 को ब्रासीलिया में की थी। बातचीत पूरी होने पर दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते के मूलपाठ को अंतिम रूप दिया था।

हस्ताक्षरित समझौते को हितधारकों की सूचना के लिए मंत्रालय की वेबसाइट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर डाला जाएगा, ताकि दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदानों से बचने के लिए वे इस संबंध में प्रमाण-पत्र सुनिश्चित कर सकें।

आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का सफलतापूर्वक हुआ प्रक्षेपण

श्रीहरिकोटा (आरएनएस)। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने अपनी पचासवीं उड़ान (पीएसएलवी-सी48) में आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का बुधवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

पीएसएलवी-सी48 ने पहले लांचपैड से 15:25 पर उड़ान भरी। 16 मिनट और 23 सैंकड़ के बाद आरआईएसएटी-2बीआर1 ने सफलतापूर्वक 576 किलोमीटर के एक कक्ष में प्रवेश किया। इसके बाद नौ वाणिज्यिक उपग्रहों को उनके इच्छित कक्षों में

प्रविष्ट किया गया। अलग होने के बाद आरआईएसएटी-2बीआर1 की दो सौर सरणियों को स्वचालित रूप से तैनात किया गया। इसके बाद बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने इस उपग्रह पर नियंत्रण कर लिया। आने वाले दिनों में उपग्रह को इसके अंतिम परिचालन विन्यास में लाया जाएगा।

इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने कहा कि आज हमने 50वें मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पीएसएलवी के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर उन्होंने 'पीएसएलवीञ्च50' नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस लांचर ने अंतरिक्ष में 52.7 टन का भार उठाया है, जिसमें से 17 प्रतिशत भार अन्य उपग्रहों का है।

आरआईएसएटी-2बीआर1 एक रडार इमेजिंग पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह है जिसका वजन लगभग 628 किलोग्राम है। यह उपग्रह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। आरआईएसएटी-2बीआर1 की मिशन आयु 5 वर्ष है।

डॉ. सिवन ने कम समय में ही प्रक्षेपण यान और उपग्रह टीमों द्वारा इस मिशन को हासिल करने के प्रयासों की सराहना की। इजरायल, इटली, जापान और अमेरिका के नौ उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया गया। ये उपग्रह न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ एक वाणिज्यिक अनुबंध के तहत प्रक्षेपित किए गए हैं।

गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी सरकार को नानावती आयोग से क्लीन चिट

अहमदाबाद (आरएनएस)। नानावती आयोग ने गुजरात में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी है. इन दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे.

राज्य के गृह मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने सदन में आयोग की रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार को सौंपे जाने के पांच साल बाद सदन में पेश किया गया है. आयोग ने 1,500 से अधिक पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में कहा, 'ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया.'

इसमें कहा गया है कि कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस अप्रभावी रही क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे या वे हथियारों से अच्छी तरह लैस नहीं थे. आयोग ने अहमदाबाद शहर में साम्प्रदायिक दंगों की कुछ घटनाओं पर कहा, 'पुलिस ने दंगों को नियंत्रित करने में सामर्थ्य, तत्परता नहीं दिखाई जो आवश्यक था.'

नानावती आयोग ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच या कार्रवाई करने की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी टी नानावती और गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अक्षय मेहता ने 2002 दंगों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 2014 में राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी.

साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था. यह दंगे गोधरा रेलवे स्टेशन के समीप साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की दो बोगियों में आग लगाए जाने के बाद भड़के थे जिसमें 59 'कारसेवक' मारे गए थे.

2002 के गोधरा दंगों के बाद गुजरात में दंगे योजनाबद्ध नहीं थे. मोदी के अलावा शोक भट्ट, भरत बारोट और हरेन पंड्या को भी क्लीन चिट मिला है. मोदी पर सबूतों को नष्ट करने के लिए जो आरोप लगाए गये थे, वे झूठे साबित हुए हैं. साथ ही तीन अधिकारियों आरबी कुमार, संजीव भट्ट और राहुल शर्मा की नकारात्मक भूमिका साबित हुई है.

भारत और रूस की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरु

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत और रूस की तीनों सेनाओं के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इन्द्र - 2019 का उद्घाटन समारोह उत्तर प्रदेश के बबीना में बुधवार को आयोजित हुआ। दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डी एस आहुजा ने फिफ्थ आर्मी ऑफ ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर इन चीफ टीसेकोव ओलेग के साथ परेड का निरीक्षण किया।

सैन्य अभ्यास बबीना (झांसी के निकट), गोवा तथा पुणे में एक साथ किया जाएगा। कंपनी आकार के मेकेनाइज्ड दस्ते, लड़ाकू तथा परिवहन विमान और दोनों देशों की सेनाओं के जहाज अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के अंतर्गत आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में टुकड़ियों का संयुक्त प्रशिक्षण है। इन्द्र - 2019 से भारत और रूस के बीच पुराने रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

अभ्यास के एक हिस्से के रूप में आतंकवादी विरोधी कार्रवाई से संबंधित व्याख्यान, डिमोस्ट्रेशन तथा ड्रिल आयोजित की जाएगी। दोनों देश ऐसी स्थितियों से निपटने में अपने मूल्यवान अनुभवों को साझा करेंगे और संयुक्त कार्रवाई के लिए ड्रिल तथा प्रक्रियाओं में सुधार लायेंगे। संयुक्त अभ्यास 72 घंटे के वैधता चरण के साथ समाप्त होगा जिसमें आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में संयुक्त रूप से कार्रवाई करने में सैनिकों, नाविकों और वायु सेना कर्मियों के कौशल की परीक्षा होगी।

वाहनों की लंबाई-चौड़ाई के पैमाने में संशोधन के लिए जनता के विचार आमंत्रित

नईदिल्ली (आरएनएस)। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 93 में संशोधन के लिए सभी हितधारकों की टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके तहत मोटर वाहनों की लंबाई-चौड़ाई के मद्देनजर चेसिस पर आधारित वाहनों के आकार की अधिकतम ऊंचाई शामिल है। इसके तहत ईसीई के प्रावधानों के अनुरूप दो एक्सल वाली बसों की स्वीकृत लंबाई को बढ़ाने के सम्बंध में भी विचार किया जाना है। इस संशोधन के सम्बंध में तकनीकी स्तर पर विस्तृत बैठकें हो चुकी हैं। इस विषय पर सीएमवीआर-टीएससी की 51वीं, 52वीं, 53वीं, 54वीं, 55वीं और 56वीं बैठकों में भी चर्चा की गई है।

वाहनों के चपटे स्वरूप (टेब्यूलर फॉर्मेट) के मद्देनजर मौजूदा नियम को बदलने और दुपहिया वाहनों की लंबाई-चौड़ाई को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें दुपहिया वाहन (एल1 और एल2), तिपहिया वाहन (एल5 एम/एल5 एन) और न्यूमेटिक ट्रेलर की लंबाई-चौड़ाई का विवरण शामिल हैं। अधिक माल ढुलाई को प्रोत्साहन देने के लिए 'एन' श्रेणी के वाहनों की ऊंचाई बदलने का विशेष प्रस्ताव किया गया है। ये माल ढोने वाले वाहनों के बारे में है। 'एम' श्रेणी वाले यात्री वाहनों की ऊंचाई में चार मीटर तक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। यह एयरपोर्ट यात्री बसों (3.8 मीटर) पर लागू नहीं होगा। दो एक्सलों पर आधारित आठ सीटों से अधिक वाले एम3 श्रेणी के यात्री वाहनों की लंबाई को 13.5 मीटर तक करने का प्रस्ताव है।

'एन' श्रेणी के मालवाहक वाहनों की ऊंचाई को चार मीटर तक करने का प्रस्ताव किया गया है। उल्लेखनीय है कि एन1 श्रेणी के वाहनों (3.5 टन तक जीवीडब्ल्यू वाले यूटिलिटी वाहन) की ऊंचाई तीन मीटर तक सीमित है, क्योंकि इन छोटे वाहनों की स्थिरता कम होती है।

एनएचएआई को आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट बनाने के लिए किया अधिकृत

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेबी द्वारा जारी निवेश ट्रस्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अधिकृत करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे एनएचएआई कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह रिकार्ड वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूरे किए गए राजमार्गों का मुद्रीकरण कर सकेगा। एनएचएआई चिन्हित राजमार्ग पर टोल लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

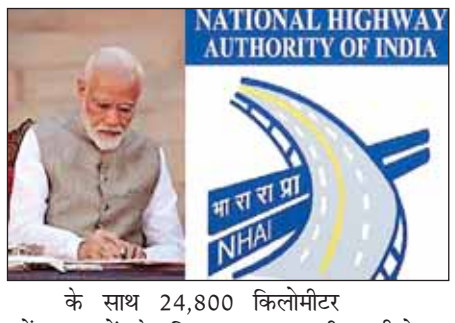

सड़कें और राजमार्ग अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं और दूर-दराज के इलाकों को जोड़ते हैं। राजमार्ग क्षेत्रीय तथा संपूर्ण भारत के आधार पर सक्षम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चि करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास से व्यापार में मदद मिलती है और क्षेत्र के संपूर्ण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में भारतमाला परियोजना लॉन्च की। भारत माला परियोजना 5,35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 24,800 किलोमीटर सड़कों के विकास का अग्रणी उच्च मार्ग विकास कार्यक्रम है। भारतमाला कार्यक्रम की विशालता को देखते हुए एनएचएआई को निर्धारित समयसीमा के अंदर परियोजनाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए कार्ययोग्य विकल्प पूरे किए गए और संचालनरत राष्ट्रीय राजमार्गो का मुद्रीकरण है ताकि राजमार्गों का सही मूल्य प्राप्त किया जा सके और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निजी क्षेत्र के लिए आकर्षक योजनाओं की पेशकश की जा सके।

सीमित धन संसाधन वाले एनएचएआई जैसे संगठनों के लिए नए और अभिनव वित्तीय उपाय करना आवश्यक है। वर्ष 2018-19 के अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि एनएचएआई ने अपनी सड़क संपत्तियों को स्पेशल पर्पज व्हिकल के रूप में संगठित करने पर विचार कर सकता है तथा टोल संचालन और हस्तांतरण मॉडल, आधारभूत संरचना ट्रस्टों (आईएनवीआईटीएस) जैस अभिनव मुद्रीकरण ढांचे का इस्तेमाल कर सकता है।

अनुभव के आधार पर एनएचएआई पूरे किए गए तथा संचालनरत राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्रीकरण के लिए निवेश ट्रस्ट बनाने की दिशा में सक्रिय है। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना है।